ग्रामीणों द्वारा रखी गई समस्याओं का नियमानुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए।

गंगवा ने कहा कि गांव न्याना से खरकड़ी के बीच सड़क के निर्माण का टेंडर किया जा चुका है। इस सड़क के निर्माण पर करीब 2 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत आएगी। खरकड़ी गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2 करोड़ 75 लाख 9 हजार रुपये की लागत से बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण करवाया गया है।

इसके अलावा गांव में 1 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण करवाया गया है।

. इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, रणधीर धीरू, पूर्व पार्षद संजय गोयल, विनोद बंसल, सरपंच संतोष, विक्रम सोनी, अन्वेश यादव सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

वार सरकार द्वारा लिखित आश्वासन देने के बावजूद पेमेंट जारी नहीं की जा रही है। पेमेंट नहीं किए जाने से आयुष्मान के तहत कार्य कर रहे अस्पताल भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधकों को स्टाफ, डॉक्टर, मेडिकल, बेहोशी, बच्चों के डॉक्टर व ऊपर के बिजली का भुगतान अपने पैसों से मौके पर ही करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दा यह भी है कि अस्पताल चार साल पुराने रेटों पर काम कर रहे हैं, जिससे अस्पताल के खर्च भी पूरे नहीं होते हैं। इन सब के मद्देनजर मजबूर होकर पूरे राज्य में 1 सितंबर को टोकन स्ट्राइक रखी जाएगी। किसी भी तरह का आयुष्मान का काम नहीं किया जायेगा। इस पर भी यदि सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं करती है तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर डॉ. नरेश पेडीवाल, डॉ. आशीष खुराना, डॉ. अंजनी, डॉ. वीवी सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे।

एसडी पाना कालेज के बीए प्रथम वर्ष के खिलाड़ी वासु ने मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में आयोजित ओपन स्टेट चैंपियनशिप में 61 मीटर हैमर थ्रो कर रजत पदक पर कब्जा किया। इस उपलब्धि से वासु का चयन नार्थ जोन टूर्नामेंट के लिए भी हो गया है, जो अगले माह देहरादून में होने जा रही है।

वासु की उपलब्धि इसलिए भी मायने रखती है, उसका संबंध एक साधारण परिवार से है। वासु के पिता एक बस ड्राइवर और उनकी माता एक गृहिणी है। विदित रहे कि इससे पहले भी वासु जिला और राष्ट्रीय स्तरीय टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन करके मेडल्स जीत चुका है।

वासु कुरुक्षेत्र विश्वविधालय कुरुक्षेत्र की अनेक प्रतिस्पर्धाओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुका है। कॉलेज पहुंचने (राज.) पानीपत, सतीश चंद्रा चेयरमैन एसडीवीएम हूडा, कॉलेज प्रधान दिनेश गोयल, माधव गुप्ता, केशव गुप्ता, प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा, शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्षा डॉ. सुशीला बेनीवाल, प्रो. नीलम, प्रो. पूजा रानी और अन्य प्राध्यापकों ने किया।

कॉलेज प्रधान दिनेश गोयल ने अपने सन्देश में वासु को बधाई देते हुए कहा कि कॉलेज के युवा किसी से भी कम नहीं हैं। प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा ने अपने प्रेरणापूर्ण शब्दों में वासु प्रशंसा करते हुए कहा कि इस छात्र की उपलब्धियां कॉलेज और पूरे प्रदेश के लिए मायने रखती हैं। डॉ. सुशीला बेनीवाल ने अपनी ख़ुशी का इजहार करते हुए कहा कि वासु ने पूर्व में कई कीर्तिमान बनाए हैं। वासु ने नार्थ जोन चैंपियनशिप में चयनित होकर कॉलेज और जिले का मान बढ़ाया है।

pnb

पंजाब नेशनल बैंक

...विश्वास का प्रतीक!

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच (ARMB) एससीओ 60-61, पहली मंजिल, बैंक स्क्वेयर सेक्टर-17 बी, चंडीगढ़-160017, ईमेल : cs8214@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना

सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भार का विवरण : ज्ञात नहीं

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6)/9(1) तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 एवं 9 के प्रावधान के अंतर्गत चल/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति(यों), जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/रहन पर रखी गई हैं और जिनका रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को बिक्री की तिथि पर "जैसा है, जहां है", "जैसा है, और जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि नीचे उल्लिखित राशि की वसूली पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता को नीचे नामित उधारकर्ता, गिरवीदाता तथा गारंटरों से की जा सके। गिरवीदाता और गारंटर, चल/अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई ज्ञात भार हो, तो नीचे दिया गया है।

गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री का शैड्यूल

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / ऋण लेने वाले/गारंटर के नाम और पते	गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण और स्वामी/गिरवीदार के नाम	ए) डिमांड नोटिस की तिथि / बी) बकाया राशि / सी) कब्जा तिथि / डी) कब्जे की प्रकृति	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि जमा (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि और समय	सुरक्षित क्रेडिटर के संज्ञान में ऋण भार का विवरण
2	शाखा : एआरएमबी, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ मै. रडेस्को (RDESCO) एग्रो फूड्स मै. रडेस्को (RDESCO) एग्रो फूड्स, जिसकी मालिक श्रीमती अनुपम गर्ग, पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101, कार्यस्थल : फोकल प्वाइंट के सामने, पीपीओ	Property ID: PUNB23A25683097 फैक्ट्री की जमीन और इमारत का क्षेत्रफल 29 कनाल 16 मरला है, जैसा कि विवरण में दिया गया है। (1) भूमि का भाग 22 कनाल 02 मरला जो रकबा संख्या 129 किल्ला संख्या 4/1(7-14), 7/2 (7-1), 8 (7-7) खेवट संख्या 264 खतौनी संख्या 403 में शामिल है और	a)Date of 13(2) :21.09.2021 b)m Rs. 9,07,59,401.37 plus further interest w.e.f. 01.09.2021 plus costs incurred, less recovery if any C)Date of 13 (4) : 27.01.2022 d) Nature of Possession : Physical Date : 06.08.2024	RP: Rs. 2,37,52,000/- EMD: Rs. 23,75,200/- Bid increase amount Rs. 2,50,000/-	24.09.2026 11:00 AM to 4:00 PM	CS No. 356/2024 titled as Gautam Sharma Vs Ramesh Chander & Ors is pending before the Court of ACJ (SD) Abohar, Distt. Fazilka. DRT SA 338/2024 M/s Rdesco Ago V/s PNB at DRT 2, Chandigarh
		(2) वर्ष 2020-21 की जमाबंदी के अनुसार खेवट संख्या 958 में शामिल कुल 8 कनाल 00 मरला भूमि का 126/131 भाग, 7 कनाल 14 मरला भूमि, जो राजस्व क्षेत्र के भीतर स्थित है (ग्राम कल्लुआना, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का की संपत्ति, विक्रय विलेख संख्या 4186 दिनांक 10.09.2008 के अनुसार श्रीमती अनुपम गर्ग पत्नी श्री राम दयाल गर्ग के नाम पर (दिनांक 04.12.2025 को विनोद कुमार बंसी द्वारा किए गए एनडीसी के अनुसार, भूमि क्षेत्र 29 कनाल 15.89 मरला)				
	कल्लुआना, मलोट रोड, अबोहर (पंजाब)-152117, श्रीमती अनुपम गर्ग (प्राप.) निवासी : फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101, श्री राम दयाल गर्ग पुत्र श्री मनोहर लाल (गारंटर) निवासी : फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101, श्री उमेश गर्ग पुत्र श्री राम दयाल गर्ग (गारंटर) निवासी : फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101					

(उपरोक्त संपत्तियों/परिसंपत्तियों पर लागू होने वाला जीएसटी, यदि कोई हो, सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा)

टिप्पणी : सभी संपत्तियों के लिए संपर्क करें : PUNJAB NATIONAL BANK, AUTHORIZED OFFICER: SH. रडेस्को SINGH, CHIEF MANAGER, ARMB, CHANDIGARH, MOB. NO. 8872042230

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें : यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी। 1. ऊपर दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, परन्तु इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा। 2. अधिकृत अधिकारी या बैंक, ई-नीलामी की गई संपत्तियों के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को देय किसी भी प्रभार, ग्रहणाधिकार, भार या अन्य किसी भी देय राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति पर मौजूद सभी भारों, जिनमें वैधानिक देनदारियां, संपत्ति का बकाया, बिजली बिल आदि शामिल है, के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच-पड़ताल कर लें। 3. सभी वैधानिक देय राशियां/संबंधित शुल्क/अन्य देय राशियां, जिनमें पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, कर आदि शामिल हैं, क्रेता द्वारा वहन की जाएंगी। यदि बोलीदाता के नाम पर संपत्ति के पंजीकरण के लिए किसी संपत्ति पहचान पत्र/एनओसी/क्लीयरेंस/अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता है, तो उन औपचारिकताओं और शुल्कों का वहन बोलीदाता को करना होगा। यदि संपत्ति का सांकेतिक कब्जा दिया जाता है, तो संपत्ति का भौतिक कब्जा सौंपना बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। बिक्री के बाद बैंक केवल संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ही देगा। 4. इच्छुक बोलीदाता (ओं) की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 5. बोली लगाने वाले को उचित इन्टरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट फेलियर, बिजली फेलियर या तकनीकी कारणों या ई-नीलामी को प्रभावित करने वाली किसी भी बाधा के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। 6. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल **https://baanknet.com** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, वे आवश्यक केवाईसी दस्तावेज अपलोड करेंगे। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद (इसमें 2 या अधिक कार्यदिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन माध्यम से ईएमडी राशि ट्रांसफर करनी होगी। वॉलेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी की तारीख पर बोली लगा सकेंगे। 7. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी राशि घटाकर) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक जमा करना होगा और शेष राशि नीलामी की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। 8. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnbindia.in.** देखें या हमारे **कार्यालय, एआरएमबी चंडीगढ़, अधिकृत कार्यालय, ईमेल आईडी : cs8214@pnb.bank.in से संपर्क करें।**

एसएआरएफएईएआई अधिनियम के सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) और 8(6)/9(1) के साथ पढ़े गए नियम 6 और 9 के तहत वैधानिक 15/30 दिन की बिक्री सूचना।

दिनांक : 29.08.2026 स्थान : चंडीगढ़ DI-13703 अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी, चंडीगढ़।

Dainik Tribune Dt- 30.08.2026